रजि स्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 346] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 1975/पौष 10, 1897

No. 346] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 1975/PAUSA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1975

G.S.R. 600(E).—In exercise of the powers conferred by section 22 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government, being of the opinion that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Shri Prem Sarup Puri, S/o Shri Labha Ram Puri of 7, Link Road, Jangpura, New Delhi-110 014 from the operation of clauses (f) and (g) of sub-section (2) of section 6 of the said Act.

[No. V. III/416/19/72]

THOMAS ABRAHAM, Jt. Secy.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1975

सा० का० नि० 800 (अ).—पारपत्र अधिनियम 1967 (1967 का 15वां) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार जनहित में ऐसा करने को आवश्यक समझ कर, इसके द्वारा श्री प्रेम स्वरूप पुरी, पुत्र श्री लाभा राम पुरी, 7, लिंक रोड, जंगपुरा, नई दिल्ली–110014 को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (एफ़) और (जी) की कार्रवाई से छूट देती है ।

[सं० वी० तीन/416/19/72]

टोमस अब्राहम, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975